

श्रीमती पलका साहनी भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2014 को अपराह्न 03:00 बजे हरदेव भवन (समाहरणालय परिसर), बिहारशरीफ के सभागार में आयोजित लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 'अधिकार' सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्यवाही :-

उपस्थिति : यथा पंजी ।

आज दिनांक 24.06.2014 को जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 'अधिकार' सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन हेतु नालन्दा जिला के सभी प्रखण्ड -सह-अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत आई0टी0 सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया । उक्त प्रशिक्षण में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना के पत्रांक बि0प्र0सु0मि0सो0/यो0.वि0.03/12-522 दिनांक 17.06.2014 के आलोक में अन्य जिलों के भांति नालन्दा जिले में भी RTPS काउन्टरों पर दिनांक 01.07.2014 से 'अधिकार' सॉफ्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया गया ।

1. 'अधिकार' सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण :-

सर्वप्रथम आई0टी0 प्रबंधक द्वारा 'अधिकार' सॉफ्टवेयर को Install एवं उपयोग करने का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में RTPS डाटाबेस का प्रतिदिन Back-up लेने एवं डाटा का नियमित Synchronization करने पर बल दिया गया । सभी आई0टी0 सहायकों को निदेश दिया गया कि 'अधिकार' सॉफ्टवेयर को दिनांक 01.07.2014 से पूर्णतः चालू करने के पूर्व ट्रायल रन कराकर देख लें । प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अपने-अपने प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को भी 'अधिकार' सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि एवं अन्य कार्यों का प्रशिक्षण सभी आई0टी0 सहायक देना सुनिश्चित करेंगे । 'अधिकार' सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रमाण पत्रों के निष्पादन हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं प्रि-प्रिन्टेड फार्म की आवश्यकता नहीं है । सभी प्रमाण पत्रों पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Manually हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्रों का निष्पादन किया जायेगा । वर्तमान में स्थापित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना अन्तर्गत RTPS डाटाबेस का बैकअप बनाकर संधारित रखने के लिए सभी आई0टी0 सहायकों को निदेशित किया गया ।

2. तत्काल सेवा :-

सभी प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालयों में तत्काल सेवा से संबंधित अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी को व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने के लिए आदेश दिया तथा संबंधित अंचलाधिकारी से इस संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई ।

3. ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना अन्तर्गत स्थापित हाडवेयर :-

प्रशिक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी महोदया ने सभी आई0टी0 सहायकों को ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना अन्तर्गत स्थापित उपकरणों की सूची बनाकर जिला ई-गवर्नेन्स कोषांग को दो दिनों अन्दर उपलब्ध कराने को कहा गया । प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालयों में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना अन्तर्गत 4 कम्प्यूटर सेट, 2 प्रिन्टर, 2 स्कैनर, 1 बायोमैट्रिक, 1 यू0पी0एस0, 1 डी0जी0 सेट, 1 स्टेब्लाइजर एवं 1 नेटवर्क स्वीच उपलब्ध कराया गया है जबकि अनुमंडल कार्यालयों में 5 कम्प्यूटर सेट, 2 प्रिन्टर, 2 स्कैनर, 1 बायोमैट्रिक, 1 यू0पी0एस0, 1 डी0जी0 सेट, 1 स्टेब्लाइजर एवं 1 नेटवर्क स्वीच उपलब्ध कराया गया है ।

इस संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से उपकरणों की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4. RTPS कर्मियों का कार्य मूल्यांकन :-

प्रशिक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा आई0टी0 प्रबंधक एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सभी आई0टी0 सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों का मासिक कार्य मूल्यांकन करने का निर्देश दिया । इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा RTPS से जुड़े सभी आई0टी0 कर्मियों का दक्षता जाँच परीक्षा लेने को कहा गया । साथ ही दक्षता परीक्षा में पास नहीं होने वाले संबंधित कर्मियों को सेवा समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया ।

5. Online Reporting :-

प्रशिक्षण के क्रम में उपस्थित सभी आई0टी0 सहायकों को RTPS से संबंधित प्रतिवेदन Google.doc के माध्यम से भेजने को कहा गया । अवकाश संबंधी Leave Management System पर ऑनलाईन प्रविष्टि करने के लिए सभी आई0टी0 सहायकों को निदेशित किया गया । अवकाश की सूचना "Leave Mangement" System पर Entry नहीं करने वाले आई0टी0 कर्मियों का अवकाश अमान्य होगा तथा उनके अवकाश के दिनों को अवैध मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

6. आई0टी0 कर्मियों का स्थानान्तरण :-


जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा वैसे आई0टी0 कर्मी जो लगभग 2 वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थापित है उनका सूची तैयार कर प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से स्थानान्तरण करने की कार्रवाई आरम्भ करें । स्थानान्तरण में महिला RTPS कर्मियों को अपने गृह प्रखण्ड अथवा समीप के प्रखण्डों में पदस्थापित करने पर विचार किया गया ।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ज्ञापांक ...४५.../लो०से०अधि०को०, दिनांक .२४.६.२०१४...

- प्रतिलिपि :- सभी आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/राजगीर/हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- स्थापना उप समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।